कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवरिया

पत्रांकःएफ0एस0 / निरीक्षण(पेट्रोल पम्प) / 2020 दिनांक–जून, 24, 2020

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी (शस्त्र)
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट
जनपद–देवरिया।

विषय–कृपया टेरीटोरी मनैजर (रिटेल), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 बैतालपुर डिपो देवरिया द्वारा गाटा सं0–418 ग्राम–सिरसिया तहसील व जिला–देवरिया मे प्रस्तावित डीजल / पेट्रोल पम्प रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

संन्दर्भ– आपका पत्र संख्याः 436(3) / शस्त्र–2020 दिनांकः 13.06.2020

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ में उक्त प्रस्तावित भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 बैतालपुर डिपो का रिटेल आउटलेट डीजल / पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु उपलब्ध कराये गये मानचित्र के अनुसार अग्निसुरक्षा के दृष्टिकोण से स्थलीय निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया जिसका विवरण निम्नवत है–

1. प्रस्तावित स्थल (35x35) देवरिया से कसया रोड पर कि0मी0 स्टोन नं0: 10 से 302 मी0 आगे दायें तरफ ग्राम–सिरसिया मे स्थित है।
2. स्थल उपयुक्तता नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ–2005 के पार्ट–(।।।) के क्लाज 5–5–4 के मानक के अनुरूप है।
3. प्रस्तावित स्थल पर एचएसडी "क्लास बी" 20 के0एल0 व एमएस "क्लास ए" 15 के0एल0 हेतु दो–दो आउटलेट 06–06 मीटर लम्बाई व 01 मीटर चौड़ाई पर बनाया जाना है।
4. प्रश्नगत आउटलेट के मानचित्र में 11.50 मीटर चौड़ाई का प्रवेश व 11.50 मीटर का निकास द्वार तथा 12 मीटर लम्बाई व 03 मीटर चौडाई का बफर स्ट्रीप बनाया जाना है।
5. प्रश्नगत प्लाट के तीन तरफ 1.20 मीटर ऊँचाई व 0.23 मीटर बाउन्ड्री वाल बनाया जाना प्रस्तावित है।
6. एच0एस0डी0 "क्लास बी" 20 के0एल0 का एक अण्डर ग्राउण्ड टैंक E/PIT साइज 2.00 x 6.75 मी0 का एंव एम0एस0 "क्लास ए" 15 के0एल0 का अण्डर ग्राउण्ड टैंक E/PIT साईज 2.00 x [illegible] का निर्माण आई0एस0 10987:1998 के अनुरूप ही किया जाना है।

प्रस्तावित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था एंव जीव रक्षा प्रणाली:–

1. भारत सरकार के पेट्रोलियम एंव नेचुरल गैस मंत्रालय द्वारा जारी OISD (आयल इण्डस्ट्रीज सेफ्टी डायरेक्टिविस) 205 में रिटेल आउटलेट में दिये गये निर्देशों का पालन अक्षरशः किया जाना आवश्यक होगा।
2. मानक आई0एस0 15683:2006 के अनुसार निम्न फायर एक्सटिंग्यूशर स्थापित किये जाये:–
3. ए0बी0सी0 टाइप एक्सटिंग्यूशर क्षमता 9 / 4 कि0ग्रा0 / सीओटू टाइप — 10 अदद
4. डी0सी0पी0 टाइप एक्सटिंग्यूशर ट्राली क्षमता 50 कि0ग्रा0 — 01 अदद
5. फोम ट्राली 75 लीटर — 01 अदद

(शकर कुरेण राय)
25/06
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
देवरिया

Vikas Kumar Srivastava
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
10/2/21
Constituted Attorney

6. फायर बकेट क्षमता 9 लीटर (स्टैण्ड पर टाँगी जाये) 12 अद्द
7. धुम्रपान निषेध बोर्ड 01 अद्द
8. बालू/रेत का ढेर 6/6/6 घन फिट व बेलचा 04 अद्द
9. फायर सर्विस का टेलीफोन नम्बर–9454418799 व 9454418800 पुलिस कन्ट्रोल का टेलीफोन नम्बर–100 स्थानीय पुलिस स्टेशन व नजदीकी नर्सिंग होम का टेलीफोन नम्बर बोर्ड पर अंकित किया जाये।
10. स्ट्रेचर रस्सा व फर्स्ट एड बाक्स रखा जाये।
11. एच0एस0डी0 ड्रेनेज करते समय अर्थिंग अवश्य की जाये।
12. एम0एस0/एच0एस0डी0 लाने वाले टैंकर में फ्लेम अरेस्टर लगाया जाये।
13. प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का प्रयोग करने हेतु प्रशिक्षित स्टाफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा पेट्रोलियम पदार्थ के गुण व दोष की प्रक्रियाओं की जानकारी रखना अनिवार्य होगा।
14. प्रश्नगत रिटेल आउटलेट भूखण्ड के निकट किसी प्रकार का ऐसा अवरोध नही होगा जिससे कि क्षेत्रीय मार्ग पर वाहनों का आवागमन पेट्रोल फिलिंग स्टेशन क्षेत्र के अन्दर प्रवेश करने वाले एंव बाहर निकलने वाले वाहनों का स्पष्ट रूप से दृष्टिगत न हो सके।
15. एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 एक्सप्लोसिव रूल्स 2008 एंव एक्सप्लोसिव सब स्टेन्स एक्ट 1908 का पालन किया जाये।
16. मानचित्र मे दर्शाये गये नोट बिन्दु 01 से 24 तक के दिशा निर्देशों एंव पेट्रोलियम विभाग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाये।
17. समरसेबल पम्प के साथ 5,000 लीटर का अण्डरग्रउण्ड टैंक बनवाना अनिवार्य होगा।

निम्नाकिंत का बोर्ड डिसपेन्सर के पास लगायें।

क्या करें	क्या न करें
1.मोबाइल बन्द रखें।	1.वाहन का इंजन तब तक स्टार्ट न करे, जब तक वाहन के टैंक से नोजुल अलग न हो जायें।
2.तेल भरते समय वाहन का इंजन बन्द रखें।	2.धुम्रपान न करें।
3.सुनिश्चित कर ले कि डिस्पेन्सर के पार अग्निशमन यंत्र रखे हुये हों।	3.खुली आग का प्रयोग न करें।
4.तेल रिसाव/आग की स्थिति में डिस्पेन्सर का इमरजेन्सी स्टाप बटन दबायें।	4.लारी से तेल टैंक में तेल भरते समय वाहनों में तेल न भरें।

अतः भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 बैतालपुर डिपो देवरिया, द्वारा डीजल/पेट्रोल पम्प खसरा **संख्या–418 ग्राम–सिरसिया तहसील व जिला–देवरिया** पर नये रिटेल आउटलेट का संचालन करने से पूर्व उपरोक्तानुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का प्राविधान कराकर उनका अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा तभी आउटलेट परिसर का प्रयोग सुरक्षित माना जायेगा।

यदि किसी भी क्लाज का उल्लंघन किया जाता है तो यह संस्तुति आख्या स्वतः निरस्त समझी जायेगी। उपरोक्त प्रतिबन्धों के अधीन उक्त प्रश्नगत रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित सादर सेवा में प्रेषित है।

24/06

(शंकर शरण राय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
जनपद–देवरिया।
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
देवरिया

Vikas Kumar Srivastava
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
10/2/21
Constituted Attorney